



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2016/वैशाख 10, 1938

No. 126]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938

परमाणु ऊर्जा विभाग

संकल्प

मुंबई, 28 अप्रैल, 2016

विषय : नाभिकीय हस्तांतरणों (निर्यातों) हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

सं. 32/02/2016-ईआर.- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 की संख्या 33) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (च) एवं (छ) एवं धारा 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 28.04.2016 को "विहित पदार्थों, विहित उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी" की अनुसूची को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, इन मदों के निर्यात को नियमित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने 01 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. एईए/27(1)/2005-ईआर के द्वारा "नाभिकीय हस्तांतरणों (निर्यातों) हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों" का एक सेट तैयार किया है। दिनांक 01 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. एईए/27(1)/2005-ईआर के अधिक्रमण में केंद्र सरकार एतद्वारा "नाभिकीय हस्तांतरणों (निर्यातों) हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों" का एक सेट जारी करती है, जिससे इन मार्गनिर्देशों में संदर्भित मदों का निर्यात/हस्तांतरण विनियमित किया जाएगा।

किसी देश को विहित पदार्थों, विहित उपस्कर का निर्यात या संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित होगा तथा किसी देश को नाभिकीय हस्तांतरण करने पर निर्यात नियंत्रण लागू होंगे।

टिप्पणियां:

"विहित पदार्थ" से, किसी भी खनिज सहित, कोई भी ऐसा पदार्थ, सामग्री अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे पदार्थ के रूप में विहित करे जो मात्रा या सांद्रण या दोनों में उस अधिसूचना में इस संबंध में विहित सीमा से अधिकमात्रा में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग या उससे संबद्ध विषयों में अनुसंधान के लिए उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है। विहित पदार्थों में नाभिकीय रिएक्टर हेतु स्रोत सामग्री, विशिष्ट विखंडनीय पदार्थ, एवं गैर नाभिकीय सामग्री उदाहरणार्थ नाभिकीय ग्रेड का ग्रेफाइट एवं भारी पानी, तथा कतिपय अन्य सामग्री (दोहरे उपयोग में आने वाली सामग्री) भी शामिल हैं।

"विहित उपस्कर" से ऐसी सम्पत्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के रूप में विहित करे जो उसकी राय में किसी विहित पदार्थ के उत्पादन या उपयोग के लिए या परमाणु ऊर्जा, रेडियोएक्टिव पदार्थ, या विकिरण के उत्पादन या उपयोग के लिए या परमाणु ऊर्जा रेडियोएक्टिव पदार्थ, या विकिरण के उत्पादन या उपयोग के लिए विशेषतया अभिकल्पित या अनुकूलित है या उपयोग की जाती है या उपयोग किये जाने के लिए आशयित है, किन्तु इसमें ऐसे खनन, पेषण, प्रयोगशाला और अन्य उपस्कर शामिल नहीं हैं जो

इस प्रकार विशेषतः अभिकल्पित या अनुकूलित नहीं हैं और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग किये जाने वाले या उपयोग के लिए आशयित किसी उपस्कर में समाविष्ट नहीं है। विहित उपस्कर में नाभिकीय रिएक्टर, ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, ईंधन संविचरन संयंत्र, यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, यूरेनियम एवं प्लूटोनियम रूपांतरण सुविधाएं, भारी पानी उत्पादन संयंत्र, तथा ऐसे संयंत्रों/सुविधाओं हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित, निर्मित, अनुकूलित या प्रयुक्त या उपयोग के लिए आशयित संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, तथा नाभिकीय से संबंधित दोहरे उपयोग वाले उपस्कर एवं संघटक भी शामिल हैं।

“प्रौद्योगिकी” से जनता के लिए उपलब्ध सूचना से भिन्न (साफ्टवेयर में सन्निविष्ट सूचना सहित) ऐसी कोई सूचना अभिप्रेत है जिसे निम्नलिखित में उपयोग लाया जा सकता है,

- (i) किसी वस्तु या साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या उत्पादन हेतु,
- (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधि के विकास या संचालन या किसी प्रकार की सेवा का प्रावधान करने हेतु।

**स्पष्टीकरण :** जब प्रौद्योगिकी का उल्लेख उसके (या जिन वस्तुओं से वह संबंधित है उसके) उपयोगों के संदर्भ में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है तो उसमें ऐसी सेवाओं का उल्लेख शामिल होगा, जो ऐसी प्रौद्योगिकी या वस्तुओं के विकास उत्पादन या उपयोग हेतु उसमें उपलब्ध कराई गई है या उसका उपयोग है या उपयोग किये जाने के लिए सक्षम है।

विहित पदार्थों एवं विहित उपस्कर के संबंध में विस्तृत विवरण हेतु निर्यातक, भारत सरकार की अधिसूचना देख सकते हैं।

### क: विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत

#### 1. नाभिकीय विस्फोटकों के विकास के लिए निर्यात का प्रतिषेध

- (क) किसी देश को नाभिकीय विस्फोटक युक्ति (डिवाइस) के विकास के लिए या नाभिकीय विस्फोटक युक्ति में उपयोग के लिए किसी विहित पदार्थ, विहित उपस्कर या संबंधित प्रौद्योगिकी का निर्यात करना प्रतिषिद्ध होगा।
- (ख) जब किसी विहित पदार्थ, विहित उपस्कर या संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में यह आशंका हो कि उसका नाभिकीय विस्फोटक युक्ति के विकास हेतु या नाभिकीय विस्फोटक युक्ति में गलत उपयोग हेतु या नाभिकीय आतंकवाद की कार्रवाइयों के लिए गलत इस्तेमाल किये जाने का अस्वीकार्य जोखिम हो तो निर्यात को प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।
- (ग) निम्नलिखित मदों (विहित पदार्थों एवं विहित उपस्कर) तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को केवल तभी प्राधिकृत किया जायेगा जब इसके प्राप्तकर्ताओं की ओर से औपचारिक रूप से स्पष्टतया यह सरकारी आश्वासन प्राप्त हो जाए कि इनका उपयोग इस रूप में नहीं किया जाएगा जिसकी परिणति किसी नाभिकीय विस्फोटक युक्ति में हो।
  - (i) स्रोत सामग्री, विशिष्ट विखंडनीय सामग्री और रिएक्टरों हेतु गैर-नाभिकीय सामग्री (नाभिकीय ग्रेड का ग्रेफाइट तथा भारी पानी)
  - (ii) नाभिकीय रिएक्टर, ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, ईंधन संविचरन संयंत्र, यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, यूरेनियम एवं प्लूटोनियम रूपांतरण सुविधाएं, भारी पानी उत्पादन संयंत्र, ट्रीशियम पुनर्प्राप्ति संयंत्र तथा ऐसे संयंत्रों/सुविधाओं हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित या अनुकूलित या प्रयुक्त या उपयोग हेतु आशयित संबद्ध उपस्कर।

(ग) (i) एवं ग(ii) में उल्लिखित मदों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण हेतु (निर्यातक विहित पदार्थों, विहित उपस्कर एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में भारत सरकार की अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।)

#### 2. भौतिक संरक्षण

- (क) पैरा 1(ग)(i) एवं 1 ग(ii) में निर्दिष्ट सभी पदार्थों एवं सुविधाओं को अनधिकृत उपयोग एवं हस्तन (हैंडलिंग) से बचाने के लिए संगत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) संस्तुतियों विशेषकर INFCIRC/225 के अनुसार प्रभावकारी भौतिक संरक्षण में रखा जाना चाहिए। सामग्रियों, उपस्कर एवं सुविधाओं के प्रकारों के हिसाब से उनके भौतिक संरक्षण के स्तर को भारत सरकार द्वारा की गई सिफारिशों या उन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों जिनमें भारत भी एक पक्षकार है, अनुसार उनको सुनिश्चित करना होगा।
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में भौतिक संरक्षण के उपाय लागू करने का उत्तरदायित्व उस देश की सरकार का होगा। तथापि, भौतिक संरक्षण के स्तरों, जिन पर ये उपाय आधारित होंगे, का उल्लेख आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता के बीच समझौते में किया जाएगा।
- (ग) पैरा 1(ग)(i) तथा 1(ग)(ii) में उल्लिखित मदों के प्रत्येक मामले में परिवहन के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी।

#### 3. सुरक्षा के उपाय

- (क) किसी देश को निर्यात करने हेतु प्रस्तावित किसी भी सामग्री या उपस्कर जो पैरा 1(ग)(i) एवं 1(ग)(ii) में उल्लिखित हैं या संबंधित प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए। भारत

सरकार ऐसी मदों का निर्यात तभी प्राधिकृत करेगी जब प्राप्तकर्ता देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के संगत सुरक्षा उपायों की प्रभावी व्यवस्था हो।

(ख) पैरा 1(ग)(i) एवं 1(ग)(ii) में उल्लिखित मदों, या संबंधित प्रौद्योगिकी का प्राप्तकर्ता देश को हस्तांतरण तभी प्राधिकृत किया जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा उपाय शामिल किये जाएंगे और प्राप्तकर्ता से यह औपचारिक सरकारी आश्वासन प्राप्त हो कि:-

- I. यदि उपर्युक्त दर्शाया गया करारसमाप्त होना हो तो प्राप्तकर्ता आईएईए के साथ हुए करार को लागू करेगा जो वर्तमान आईएईए मॉडल संरक्षोपायों करारों पर आधारित है जिसमें उपर्युक्त दर्शाई गई सभी सामग्रियों, आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्तांतरित संबंधित प्रौद्योगिकी या ऐसे हस्तांतरणों के संबंध में प्रक्रमित या उत्पादित या प्रयुक्त पर संरक्षोपायों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।
- II. यदि आईएईए निर्णय लेता है कि आईएईए संरक्षोपायों का अनुप्रयोग अब और संभव नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता को उपयुक्त सत्यापन उपायों को विस्तार से दर्शाना चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता इन उपायों को स्वीकार नहीं करता है तो उसे आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर हस्तांतरित तथा व्युत्पन्न उपर्युक्त दर्शायी गयी सामग्रियों के प्रत्यानयन की अनुमति देनी चाहिए।

ग) जिन करारों के तहत जो पैराग्राफ 3 (क) तथा 3(ख) में दर्शायी गयी गई नीति लागू नहीं होती हैं, वहाँ पैराग्राफ 1.ग (i) तथा 1.ग (ii) में दर्शाई गई सामग्रियों या संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तभी प्राधिकृत की जाएगी जब अवधि सहित आईएईए संरक्षोपाय द्वारा आवृत हो तथा व्याप्ति प्रावधान आईएईए दस्तावेज GOV/1621 के अनुरूप हो।

घ) इसके अतिरिक्त, जब कभी उपयुक्त हो, तब भारत सरकार संरक्षोपाय संबंधित अन्य आवश्यकताओं पर विचार कर सकती है।

#### 4. एक राष्ट्रीय नीति के रूप में आपूर्ति की अतिरिक्त शर्तों को लागू करने का भारत सरकार का अधिकार सुरक्षित है।

#### 5. संवेदनशील निर्यातों पर विशेष नियंत्रण

भारत सरकार नाभिकीय शस्त्रों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों में प्रयोज्य संवेदनशील सुविधाओं, उपस्कर, प्रौद्योगिकी तथा पदार्थ के हस्तांतरण को नियंत्रित करेगी।

क) संवर्धन तथा पुनर्संसाधन सुविधाओं, तथा उपकरण तथा उसके लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित मानदंड ध्यान में रखे जाएंगे :

- (i) प्राप्तकर्ता देश द्वारा अप्रसार सिद्धांतों का पालन तथा क्या इसने अपनी अप्रसार बाध्यताओं का पूर्ण अनुपालन किया है।
- (ii) क्या प्राप्तकर्ता देश अपने संरक्षोपाय करार के पालन के लिए अपनी बाध्यताओं को तोड़ता है और क्या आईएईए ने एक देश के रूप में इसके बारे में रिपोर्ट किया है जहाँ वर्तमान में आईएईए अपने संरक्षोपाय करार को लागू करने के लिए असमर्थ है।
- (iii) प्रभावी निर्यात नियंत्रणों का कार्यान्वयन।
- (iv) क्या प्राप्तकर्ता देशने भारत सरकार के साथ अंतर-शासकीय करार किया है जिसमें गैर विस्फोटक प्रयोग, यथा लागू उपयुक्त आईएईए संरक्षोपाय तथा पुनः हस्तांतरण के संबंध में आश्वासन शामिल हैं।
- (v) वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मार्ग-निर्देशों पर आधारित भौतिक संरक्षण के आपसी सहमति के मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता और
- (vi) आईएईए संरक्षा मानकों के प्रति प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय संरक्षा कंवेन्शनों का पालन।

ख) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संवर्धन और पुनःप्रसंस्करण सुविधाएँ, उपस्कर और

प्रौद्योगिकी केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु ही अभिप्रेत है। हस्तांतरण तभी किया जाएगा, जब प्राप्तकर्ता ने संगत आईएईए संरक्षोपाय करार को, तथा प्राप्तकर्ता देश पर लागू होने वाले मॉडेल अतिरिक्त प्रोटोकॉल को प्रभावी रूप से लागू कर लिया हो।

#### 6. संवर्धन सुविधाओं, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात पर विशेष नियंत्रण

किसी संवर्धन सुविधा या उसकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में प्राप्तकर्ता राष्ट्र को इन बातों पर सहमत होना चाहिए और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन देना चाहिए कि न तो हस्तांतरित सुविधा और न ही ऐसे उपस्करों को प्रयुक्त करने वाली सुविधा या ऐसी प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई सुविधा, भारत सरकार की सहमति के बिना 20% से अधिक संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन हेतु अभिकल्पित या प्रचालित नहीं की जाएगी।

#### 7. नाभिकीय शस्त्रों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों में प्रयोज्य आपूर्ति की गई या उससे व्युत्पन्न सामग्रियों पर नियंत्रण।

भारत सरकार इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा प्रसार के जोखिम को कम करने के और अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्रोत सामग्री या विशेष विखंडनीय सामग्री या उन सुविधाओं जिनसे नाभिकीय शस्त्रों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों हेतु प्रयोज्य सामग्री उत्पादित होती है, की आपूर्ति से संबंधित सहमति में जब भी उचित तथा व्यवहार्य होगा भारत सरकार

तथा प्राप्तकर्ताओं के बीच परस्पर करार में नाभिकीय शस्त्रों या अन्य संबंधित नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों में प्रयोज्य किसी पदार्थ के पुनर्संसाधन, भंडारण, परिवर्तन, उपयोग, हस्तांतरण या पुनर्हस्तांतरण की व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रावधानों को शामिल करेगी।

### 8. पुनर्हस्तांतरण पर नियंत्रण

(क) भारत सरकार पैरा 1(ग)(i) तथा 1(ग)(ii) में उल्लिखित मदों अथवा संबद्ध प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तभी प्राधिकृत करेगी जब इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा यह आश्वासन दिया जाएगा कि यदि:-

1. ऐसी मदों या संबंधित प्रौद्योगिकी का पुनर्हस्तांतरण किया जाता है, या
2. पैरा 1(ग)(i) एवं 1(ग)(ii) में उल्लिखित मदों जो आपूर्तियों द्वारा मूलरूप से हस्तांतरित सुविधाओं या सामग्री से, या आपूर्तिकर्ता द्वारा मूलरूप से हस्तांतरित उपस्कर या प्रौद्योगिकी की सहायता से व्युत्पन्न की गई हो, का हस्तांतरण;  
पुनःहस्तांतरण या हस्तांतरण के प्राप्तकर्ता द्वारा वही आश्वासन दिये जाएंगे, जो मूल हस्तांतरण के लिये आपूर्तिकर्ता द्वारा लिये गये थे।

(ख) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु भारत सरकार की सहमति आवश्यक होगी :-

1. पैरा 1(ग)(i) एवं 1(ग)(ii) में उल्लिखित मदों या संबंधित प्रौद्योगिकी के किसी पुनर्हस्तांतरण हेतु;
  2. भारी पानी के संवर्धन, पुनर्संसाधन या उत्पादन सुविधाओं, उपस्कर या संबंधित प्रौद्योगिकी के किसी पुनर्हस्तांतरण हेतु तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा मूलरूप से हस्तांतरित मदों से व्युत्पन्न उसी प्रकार की सुविधा या उपस्कर के किसी हस्तांतरण हेतु,
  3. नाभिकीय शस्त्रों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों हेतु प्रयोज्य भारी पानी या सामग्री के किसी पुनर्हस्तांतरण हेतु।
- (ग) पैरा 8(ख) में परिभाषित सहमति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सुसंगत मूल हस्तांतरण हेतु सरकार से सरकार के बीच आश्वासन आवश्यक होगा।

### 9. अप्रसार सिद्धांत

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी भारत सरकार इन सूत्रियों में उल्लिखित मदों या संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को तभी प्राधिकृत करेगी जब लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जायें कि इन हस्तांतरणों से नाभिकीय शस्त्रों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक या युक्तियों के विकास में कोई मदद नहीं दी जाएगी या इन्हें नाभिकीय आतंकवाद की कार्रवाई उपयोग हेतु नहीं पहुंचाया जाएगा।

#### ख. सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

1. जब तक कि निर्यात पर निषेध न हो तब तक इस संबंध में किसी भी पदार्थ, विहित उपस्कर या संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब कि इसके लिए कोई निर्यात लाइसेंस जारी किया गया हो। प्रत्येक आवेदन पत्र की समीक्षा हर मामले को अलग मानते हुए उसके गुण दोष के आधार पर की जाएगी। इस बारे में लागू विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के होते हुए भी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत सभी मामलों में लागू होंगे तथा निर्यात लाइसेंसोंके लिए आवेदन पत्रों की जांच करते समय निम्नलिखित संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा।
2. क्या प्राप्तकर्ता राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के सुरक्षा उपायों का कोई सुसंगत करार लागू है;
3. क्या हस्तांतरित किया जाने वाला उपस्कर, सामग्री, साफ्टवेयर या संबंधित प्रौद्योगिकी उल्लिखित अंतिम उपयोग (एंड यूज) के लिए उपयुक्त है और क्या उल्लिखित अंतिम उपयोग (एंड यूज) इसके अंतिम प्रयोक्ता (एंड यूजर) हेतु उपयुक्त है;
4. क्या हस्तांतरित किये जाने वाले उपस्कर, सामग्री, साफ्टवेयर या संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग अनुसंधान में या किसी पुनर्संसाधन या संवर्धन सुविधा के विकास, अभिकल्पन विनिर्माण, निर्माण, प्रचालन या अनुरक्षण के लिए किया जाना है;
5. क्या प्राप्तकर्ता राष्ट्र की सरकारी कार्रवाइयां, वक्तव्य एवं नीतियां नाभिकीय अप्रसार का समर्थन करती हैं और क्या प्राप्तकर्ता राष्ट्र नाभिकीय गतिविधियों के क्षेत्र में अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन करता है;
6. क्या अंतिम प्रयोक्ता (एंड यूजर) चोरी-छिपे या गैर कानूनी ढंग से इन्हें प्राप्त करने की गतिविधियों में संलिप्त रहा है; तथा
7. क्या कभी इस अंतिम प्रयोक्ता (एंड यूजर) को हस्तांतरण हेतु प्राधिकृत करने से इनकार किया गया है अथवा क्या इस अंतिम प्रयोक्ता (एंड यूजर) ने पहले प्राधिकृत किसी हस्तांतरण का उपयोग मार्गदर्शी सिद्धांतों से हटकर अन्य प्रयोजनों के लिए किया है।
8. क्या इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण है कि नाभिकीय आतंकवाद की कार्रवाई हेतु इसके उपयोग का कोई खतरा हो सकता है, और
9. क्या प्राप्तकर्ता देश द्वारा समुचित, प्रभावी राष्ट्रीय निर्यात एवं नौपरिवहन नियंत्रणों को विकसित करने और मॉटेन करने में असफलता के परिणामस्वरूप किसी विहित पदार्थ, विहित उपस्कर या संबंधित प्रौद्योगिकी या साफ्टवेयर के पुनः हस्तांतरण या पूर्वोक्त की किसी प्रतिकृति के हस्तांतरण का जोखिम है।

**ग. हस्तांतरण के लिये शर्तें**

यह निर्धारित करने की प्रक्रिया में कि हस्तांतरण से इसके गलत प्रयोग का कोई अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न नहीं होगा, निर्यातक को प्राप्तकर्ता से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करके उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी के पास निर्यात लाइसेंस आवेदन के साथ जमा करना चाहिए :

- क. अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) से इसके अंतिम उपयोगों (एंड यूजेस) के बारे में स्पष्ट विवरण।
- ख. अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) का वक्तव्य स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रस्तावित हस्तांतरित का उपयोग बताये गये अंतिम उपयोग के लिए ही किया जाएगा।
- ग. अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) से ऐसा विवरण जिसमें प्रस्तावित हस्तांतरण के अंतिम उपयोग के स्थानों का स्पष्ट उल्लेख हो।
- घ. अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) से यह वक्तव्य कि भारत सरकार की सहमति के बिना न तो इन मदों, न ही इनकी प्रतिकृतियों, और न इनसे व्युत्पन्न पदार्थ किसी को पुनर्हस्तांतरित किये जाएंगे।
- ङ. इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक आश्वासन कि प्रस्तावित हस्तांतरणया उसकी कोई प्रतिकृति या उससे व्युत्पन्न पदार्थ का उपयोग नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों में या उनके उत्पादन या विकास में नहीं किया जाएगा।
- च. अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) से यह स्पष्ट करता हुआ लिखित वक्तव्य कि वह भारत सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी सत्यापन/जांच के लिए तैयार है। यदि कोई अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) ऐसी जांचों की अनुमति देने से मना करता है तो उस अंतिम-प्रयोक्ता (एंड यूजर) को उस समय तक निर्यात लाइसेंस देने से इनकार कर दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी जांच नहीं कर ली जाती।

**घ. पुनःहस्तांतरण पर सहमति का अधिकार**

विहित पदार्थों और विहित उपस्करों की अनुसूची में वर्णित सामग्रियों और उपस्करों के हस्तांतरण को किसी देश को अधिकृत करने से पहले प्राप्तकर्ता ने यह आश्वासन देना होगा कि किसी भी तीसरे देश को उपस्कर, सामग्रियाँ, सॉफ्टवेयर या संबंधित प्रौद्योगिकी, या उसकी किसी प्रतिकृति को किसी पुनः हस्तांतरण से पहले भारत सरकार की सहमति प्राप्त की जाएगी।

**ङ. सामान्य टिप्पणी**

1. इन मार्गनिर्देशों के प्रयोजन हेतु इन मार्गनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित किसी भी मद के वर्णन में उस मद का या तो नया अथवा सेकेंड-हैंड होना शामिल है।
2. जब इन मार्गनिर्देशों में संदर्भित की गयी अनुसूची की किसी मद के वर्णन में कोई अर्हता या विनिर्देशन शामिल न हो तो ऐसी स्थिति में उस मद की सभी किस्मों को शामिल माना जाएगा।
3. यदि प्रश्नगत मदें किसी "नाभिकीय विस्फोटक गतिविधि" के संबंध में उपयोग हेतु अपनी संपूर्णता में या भागरूप में हैं या अभिप्रेत हैं, तो इन मार्गनिर्देशों में संदर्भित अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं की गयी किन्हीं भी मदों के हस्तांतरण के बारे में निर्यातक, लाइसेंसिंग प्राधिकारी से परामर्श लें, तथा यथावश्यक प्राधिकार प्राप्त करें।

संजीव सूद, संयुक्त सचिव

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY****RESOLUTION**

Mumbai, the 28th April, 2016

**Subject: Guidelines for Nuclear Transfers (Exports)**

**No.32/02/2016-ER.**—Under the provisions contained in clause (f) and (g) of Sub-Section (1) of Section 2 and Section 3 of the Atomic Energy Act, 1962 (No.33 of 1962), the Department of Atomic Energy has notified the Schedule of "Prescribed Substances, Prescribed Equipment and Technology" on 28 April, 2016. Further, to regulate the exports of these items the Department of Atomic Energy had formulated a set of "Guidelines for Nuclear Transfers (Exports)" vide No. AEA/27(1)/2005-ER dated 01st February, 2006. In supersession of the notification No. AEA/27(1)/2005-ER dated 01st February, 2006, the Central Government hereby issues a set of guidelines entitled as "**Guidelines for Nuclear Transfers (Exports)**" to regulate the exports / transfers of the items referred in these guidelines.

Export of prescribed substances, prescribed equipment or transfer of related technology to any country will be governed by the following guidelines and export controls shall apply to nuclear transfers to any country.

**Notes:**

*Prescribed substance means any substance or material including any mineral which the Central Government may by notification, prescribe being a substance which in quantity or in concentration or both in excess of the limits prescribed in this behalf in that notification, is or may be used for the production or use of atomic energy or research into matters connected therewith. Prescribed substances contain source material, special fissionable material and non-nuclear materials for nuclear reactor e.g. nuclear grade graphite and heavy water and also include certain other materials (dual-use materials).*

*Prescribed equipment means any property which the Central Government may, by notification, prescribe, being a property which in its opinion is specially designed or adapted or which is used or intended to be used for the production or utilization of any prescribed substance or for the production or utilization of atomic energy, radioactive substances or radiation, but does not include mining, milling, laboratory and other equipment not so specially designed or adapted and not incorporated in equipment used or intended to be used for any of the purposes aforesaid. Prescribed equipment includes nuclear reactors, fuel reprocessing plants, fuel fabrication plants, uranium enrichment plants, uranium & plutonium conversion facilities, heavy water production plants and associated equipment specially designed, prepared, adapted or used or intended to be used in such plants/facilities and also includes nuclear related dual-use equipment and components.*

*Technology" means any information (including information embodied in software) other than information in the public domain, that is capable of being used in-*

*(i) the development, production or use of any goods or software;*

*(ii) the development of, or the carrying out of, an industrial or commercial activity or the provision of a service of any kind.*

*Explanation.-When technology is described wholly or partly by reference to the uses to which it (or the goods to which it relates) may be put, it shall include services which are provided or used, or which are capable of being used, in the development, production or use of such technology or goods;*

*Exporter may refer to the Government of India notification on the prescribed substances and prescribed equipment for details.*

**A. SPECIFIC GUIDELINES****1. Prohibition of export for development of nuclear explosives:**

- a) Export of any prescribed substance, prescribed equipment or related technology, to any country for the development of nuclear explosive device or use in a nuclear explosive device shall be prohibited.
- b) Export of any prescribed substance, prescribed equipment or related technology shall not be authorized for use in nuclear explosive activity, or when there is an unacceptable risk of diversion to the development of nuclear explosive device or use in a nuclear explosive device or to acts of nuclear terrorism.
- c) Transfer of the following items (prescribed substances and prescribed equipment) and related technology shall be authorized only upon formal governmental assurances from recipients explicitly excluding uses which would result in any nuclear explosive device:
  - i. Source material, special fissionable material, and non-nuclear material for reactors (nuclear grade graphite and heavy water).
  - ii. Nuclear reactors, fuel reprocessing plants, fuel fabrication plants, uranium enrichment plants, uranium & plutonium conversion facilities, heavy water production plants, tritium recovery plants and associated equipment specially designed or adapted or used or intended to be used in such plants/facilities.

*(For detailed clarification on items indicated in c (i) and c (ii), exporters may refer to Government of India notification on prescribed substances, prescribed equipment and related technology).*

**2. Physical protection:**

- a. All nuclear materials and facilities referred to under paragraph 1.c (i) and 1.c (ii) should be placed under effective physical protection levels to prevent unauthorized use and handling, consistent with the relevant IAEA recommendations, in particular those set out in INFCIRC/225. The levels of physical protection to be ensured in relation to the type of materials, equipment and facilities, shall also be as per the recommendations of Government of India or as agreed upon in the international conventions, to which India is a party.

b. The implementation of measures of physical protection in the recipient country is the responsibility of the Government of that country. However, the levels of physical protection on which these measures have to be based, shall be the subject of an agreement between the supplier and the recipient.

c. In each case special arrangements shall be made for a clear definition of responsibilities for the transport of items referred to under paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii).

### 3. Safeguards:

- a) Relevant IAEA safeguards as applicable should be applied to any material or equipment referred to under paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii) or related technology proposed to be exported to any country. Government of India shall authorize export of such items only when the relevant IAEA safeguards agreement is in force.
- b) Transfer of items referred to in paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii) or related technology to a recipient country with relevant IAEA Safeguards agreement in place, shall be authorized only upon formal governmental assurances from the recipient that ;
  - i. if the above mentioned agreement should be terminated the recipient will bring into force an agreement with the IAEA based on existing IAEA model safeguards agreements requiring the application of safeguards on all above referred items or related technology transferred by the supplier or processed or produced or used in connection with such transfers.
  - ii. If the IAEA decides that the application of IAEA safeguards is no longer possible, the supplier and recipient should elaborate appropriate verification measures. If the recipient does not accept these measures, it should allow at the request of the supplier the restitution of transferred and derived above referred items.
- c) Under agreements to which the policy referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) does not apply, transfer of items referred in paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii) or related technology shall be authorised only when covered by IAEA safeguards with duration and coverage provisions in conformity with IAEA document GOV/1621.
- d) Further, the Government of India may consider safeguards related other requirements whenever appropriate.

### 4. Government of India reserves the right to apply additional conditions of supply as a matter of national policy.

### 5. Special controls on sensitive exports:

Government of India shall exercise restraint in the transfer of sensitive facilities, equipment, technology and material usable for nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

a) Following criteria shall be taken into account in connection with the transfer of enrichment and reprocessing facilities, and equipment and technology therefor:

- (i) Adherence of non-proliferation principles by a recipient state, and whether it is in full compliance with its non-proliferation obligations.
- (ii) Whether the recipient state is in breach of its obligations to comply with its safeguards agreement and whether the IAEA has reported it as a State where the IAEA is currently unable to implement its safeguards agreement.
- (iii) Implementation of effective export controls.
- (iv) Whether the recipient state has concluded an Inter-Governmental Agreement with the Government of India including assurances regarding non-explosive use, appropriate IAEA safeguards as applicable, and retransfers.
- (v) Commitment to apply mutually agreed standards of physical protection based on current international guidelines, and
- (vi) Commitment to IAEA safety standards and adherence to accepted international safety conventions.

b) It should be ensured that enrichment and reprocessing facilities, equipment and technology are intended for peaceful purposes only. Transfers shall be authorized only when the recipient has brought into force a relevant IAEA safeguards Agreement, and an Additional Protocol based on Model Additional Protocol as applicable to the recipient state.

### 6. Special controls on export of enrichment facilities, equipment and technology:

With regard to a transfer of an enrichment facility, equipment or technology therefor, the recipient state should agree and provide a legally binding undertaking that neither the transferred facility, nor any facility incorporating such equipment or based on such technology, will be modified, replicated, designed or operated for the production of greater than 20% enriched uranium.

**7. Controls on supplied or derived material usable for nuclear weapons or other nuclear explosive devices:**

Government of India shall in order to advance the objectives of these guidelines and to provide opportunities further to reduce the risk of proliferation, include, whenever appropriate and practicable, in agreements on supply of source material or special fissionable material or of facilities which produce material usable for nuclear weapons or other nuclear explosive devices, provisions calling for mutual agreement between the Government of India and the recipient on arrangements for reprocessing, storage, alteration, use, transfer or re-transfer of any material usable for nuclear weapons or other nuclear explosive devices involved.

**8. Controls on re-transfer:**

(a) Government of India shall authorize the transfer of items referred to under paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii) or related technology only upon the recipient's assurance that in the case of:

1. re-transfer of such items or related technology,  
or
2. transfer of items indicated at 1.c. (i) and 1.c (ii) derived from facilities or the materials originally transferred by the supplier or with the help of equipment or technology originally transferred by the supplier;

the recipient of the re-transfer or transfer will have provided the same assurances as those required by the supplier for the original transfer.

(b) In addition the consent of the Government of India should be required for:

1. any re-transfer of items referred to under paragraph 1.c. (i) and 1.c (ii) or related technology,
2. any re-transfer of enrichment, reprocessing or heavy water production facilities, equipment or related technology and for any transfer of facilities or equipment of the same type derived from items originally transferred by the supplier;
3. any re-transfer of heavy water or material usable for nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

(c) To ensure the consent right as defined under paragraph 8(b), government to government assurances will be required for any relevant original transfer.

**9. Non-proliferation Principle:**

Notwithstanding any other provisions of these guidelines, Government of India shall authorize transfer of items or related technology identified in the Schedule only when the Licensing Authority is satisfied that the transfers would not contribute to the development of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or be diverted to acts of nuclear terrorism.

**B. GENERAL GUIDELINES**

1. Export of any prescribed substance, prescribed equipment or related technology shall be permitted only against an export license issued in this behalf unless export is prohibited. Each and every application shall be scrutinized on case-by-case basis and on the merit of each case. Notwithstanding the specific guidelines as applicable, the general guidelines will be applicable in all the cases and following relevant factors shall be taken into consideration while examining the applications for export Licenses.
2. Whether the recipient state has a relevant IAEA safeguards agreement in force.
3. Whether the equipment, materials, software or related technology to be transferred is appropriate for the stated end-use and whether that stated end-use is appropriate for the end-user.
4. Whether the equipment, materials, software or related technology to be transferred is to be used in research on or development, design, manufacture, construction, operation or maintenance of any reprocessing or enrichment facility.
5. Whether governmental actions, statements and policies of the recipient state are supportive of nuclear non-proliferation and whether the recipient state is in compliance with its international obligations in the field of nuclear related activities.
6. Whether the end-user has been engaged in clandestine or illegal procurement activities.
7. Whether a transfer has not been authorised previously to the end-user or whether the end-user has diverted for purposes inconsistent with the Guidelines any transfer previously authorized.
8. Whether there is reason to believe that there is a risk of diversion to acts of nuclear terrorism and



9. Whether there is a risk of retransfers of any prescribed substance, prescribed equipment or related technology or software or of transfers of any replica thereof as a result of a failure by the recipient State to develop and maintain appropriate, effective national export and transshipment controls.

**C. CONDITIONS FOR TRANSFER**

In the process of determining that the transfer will not pose any unacceptable risk of diversion, exporter should obtain the following from the recipient and furnish the same along with export license application to the Licensing Authority in the Department of Atomic Energy, Government of India:

1. A statement from the end-user specifying the end-uses.
2. A statement from the end-user specifying that the proposed transfer will be used only for the stated end-use.
3. A statement from the end-user specifying end-use locations of the proposed transfers and
4. A statement from the end-user that neither the items, nor replicas, nor derivatives thereof shall be re-transferred without the consent of the Government of India.
5. An assurance explicitly stating that the proposed transfer or any replica or derivatives thereof will not be used in the production, development or use in nuclear explosive device.
6. A statement from the end-user specifying that he shall facilitate such verifications as and when required by the Government of India. If an end-user refuses to allow such verifications, export licenses to that end-user will be denied until such time as such verifications are conducted.

**D. CONSENT RIGHTS OVER RETRANSFERS**

Before authorizing the transfer of materials or equipment identified in the Schedule of prescribed substances and prescribed equipment, or related technology to any country the recipient should provide assurances that the consent of Government of India will be secured, prior to any retransfer to a third country of the equipment, materials, software, or related technology, or any replica thereof.

**E. GENERAL NOTE**

1. For the purpose of these guidelines the description of any item in the referred Schedule in these guidelines includes that item in either new or second-hand condition.
2. When the description of any item in the Schedule referred to in these guidelines contains no qualifications or specifications, it is regarded as including all varieties of that item.
3. Exporter may consult the licencing authority for the transfer of items not listed in the Schedule referred to in these guidelines if the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use in connection with a “nuclear explosive activity”, and may obtain an authorisation as deemed necessary.

SANJEEV SOOD, Jt. Secy.